देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001
दिनांक : 11 DEC 2025

क्रमांक /लेखा/आयकर/2025–26/93

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/ निदेशक/ संचालक/ विभागीय अधिकारी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आयकर स्वनिर्धारण (असेसमेन्ट ईयर 2026–27) प्रपत्र ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रशासकीय/केन्द्रीय कार्यालय एवं अध्यापन विभागों के समस्त शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, कि **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल देय वेतन एवं एरियर आहरण के आधार पर **आयकर स्वनिर्धारण प्रपत्र (असेसमेन्ट ईयर 2026–27)** में नियमानुसार छूट की राशि समायोजन उपरान्त टी.डी.एस. का निर्धारण कर संलग्न है ।

कृपया **उक्त प्रपत्र की प्रति दिनांक 15/12/2025 तक अनिवार्य रूप से आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त किये गये एरियर/मानदेय एवं विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गई अन्य राशि का उल्लेख कर लेखा विभाग की वेतन शाखा में आयकर प्रभारी के पास अनिवार्य रूप से समय सीमा में जमा करावें अन्यथा कार्यालय द्वारा आकलन किया गया टी.डी.एस. आपके आगामी तीन माह के वेतन से कटोत्रा किया जाकर आयकर विभाग में जमा कर दिया जावेगा, जमा की गई टी.डी.एस. की राशि किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा वापस नहीं की जा सकेगी ।**

असेसमेन्ट प्रपत्र में पेंन नम्बर अंकित नहीं हो अथवा गलत अंकित हो, ऐसी स्थिति में प्रपत्र में सुधार कर स्वयं के पेनकार्ड की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें ताकि कार्यालय में आपके रेकार्ड को अद्यतन किया जा सके । पेन नम्बर को आधार से लिंक करवाया जाना अनिवार्य है । यदि सम्बन्धित द्वारा पेन नम्बर से आधार लिंक नहीं करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में आयकर की अधिकतम दर से आयकर का भुगतान संबंधित को करना होगा । पेन नम्बर, पेन नं. से आधार लिंक नहीं होने एवं अन्य जानकारी गलत एवं त्रुटिपूर्ण होने पर कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

वित्त नियंत्रक
दिनांक : 3/12/25

पृष्ठां.क्र.लेखा/आयकर/2025–26/

प्रतिलिपि :–

1. कुलगुरू के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रभारी, आई.टी. सेन्टर, की ओर वि.वि. की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (वित्त)